खण्ड-9, अंक-1, वर्ष-2021, मु0प्र0 8-14
D.O.I.: https://doi.org/10.22445/avsp.v9i1.2
SJIF (2021) : 7.247

शोध पत्र

कृषि अधिनियम–2020 और उनका प्रभाव: जमीनी स्तर से दृष्टिकोण

दीपायन मालवीय
एकेडेमिक ट्यूटर एण्ड ट्रिप फैलो
ओ0 पी0 जिंदल यूनिवर्सिटी, सोनीपत–131 001, हरयाणा, भारत
dmalaviya@jgu.edu.in

प्राप्त तिथि–13.06.2021, स्वीकृत तिथि–03.07.2021

सार– भारत में कृषि अधिनियम–२०२० का कानून बनना ऐतिहासिक, तथापि विवादास्पद रहा था। एक तरफ कहा जा रहा था कि ये नियम सब बदल देंगे और कृषि क्षेत्र की सभी समस्याओं को हल कर देंगे, वहीं दूसरी ओर यह कहा जा रहा था कि कृषि पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जायेगा। इस अनुसंधानके माध्यम से यह सामने लाने का प्रयास किया गया है कि क्या नए अधिनियम कृषि क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं, जैसे– मंडी तक पहुँचना एवं फसल को बेच पाने की क्षमता, का समाधान करते हैं या नहीं। इन नियमों से लाभ होगा या नुकसान यह तो समय ही बताएगा। देखना है कि क्या यह नियम प्रणाली में बसी असमानता को कम करते है कि नहीं। क्योंकि असमानता को कम करना ही कानून की कसौटी है। कतिपय कारणोंवश यह कानून बाद में निरस्त कर दिया गया।

बीज शब्द– कृषि अधिनियम–2020 और उनका प्रभाव, जमीनी स्तर से दृष्टिकोण

Farm Acts-2020 and their impact: perspectives from the grassroot

Deepayan Malaviya
Academic Tutor and TRIP Fellow
O. P. Jindal Global University, Sonipat-131 001, Haryana
dmalaviya@jgu.edu.in

Abstract- The passage of the Farm Acts, 2020 was a historic yet highly debated moment in the history of India. One segment was stating that the farm acts will change everything and all problems plaguing the agiculture sector would be dealt with and the other segment was arguing that the new laws will destroy the agriculture ecosystem. Only time will tell that whether the new laws do good or bad. The research shall bring out that whether the farm acts address the basic problems i.e., access to market and the ability to sell the farm produce in the market. Futher, it remains to be observed that whether the laws address the disparity in the society.

Key words- Farm Acts-2020 and their impact, perspectives from the grassroot

1. परिचय– कृषि, भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी अहम भूमिका अदा करती है। कृषि क्षेत्र में भारत की 50 प्रतिशत आबादी सम्मिलित है और यदि ध्यान से देखा जाए तो 50 फीसदी आबादी में 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी है।[1] कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जो कि भारत की तरक्की में अहम भूमिका निभाने की सामर्थ्य रखता है। हरित क्रांति के बाद कृषि क्षेत्र में यदि कोई बदलाव आया है तो वह है कृषि उत्पादन के व्यापार अधिनियम एवं (पदोन्नति और सरलीकरण) अधिनियम–2020 और भाव आश्वासन हेतु अनुबंध (सशक्तीकरण और संरक्षण) अधिनियम २०२० है।[2] समझने में आसानी हो इसके लिए हम कृषि उत्पादन के व्यापार अधिनियम एवं (पदोन्नति और सरलीकरण) अधिनियम–२०२० को व्यापार अधिनियम एवं भाव आश्वासन हेतु अनुबंध (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) अधिनियम–२०२० को अनुबंध खेती अधिनियम से सम्बोधित करेंगे। व्यापार अधिनियम के प्राविधान के अनुसार एक कृषक अपनी फसल को अब किसी भी राज्य में बेच सकेगा और अपनी कमाई को बढ़ा सकेगा। अनुबंध खेती अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समष्टिगत और किसान साथ में मिल कर फसल को उगा सकेंगे।

२. अनुसंधान क्रियाविधि

२.१ अनुसंधान क्रियाविधि– शोधकर्ता ने आनुभविक अनुसंधान को अपनाना उचित समझा क्योंकि कृषि अधिनियम का सीधा प्रभाव कृषियों पर होगा और कृषि और खेत दोनों हमें गाँव में ही मिलेंगे और असली परिस्थिति क्या है यह उनसे बात कर के ही ज्ञात करा जा सकता है। इसके साथ शोधकर्ता ने डॉटरिनल अनुसंधान भी अपनाया है क्योंकि कृषि अधिनियम का अध्ययन करना भी आवश्यक हो जाता है।

२.२ हितधारक– इस अनुसंधान के माध्यम से शोधकर्ता यह मापने की जिज्ञासा रखता है कि क्या इन नवीन कृषि अधिनियमों से कृषियों को कुछ लाभ होगा या नहीं। इस अनुसंधान को परिणाम देने के लिए शोधकर्ता अयोध्या जिले के राजेपुर गाँव गया था। शोधकर्ता के इस गाँव में जाने का कारण यह था कि इस गाँव में लगभग सारे फैसले ग्रामवासी ही करते हैं, इस गाँव में छोटे किसान एवं बड़े किसान दोनों है, इस गाँव में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बिजली और पानी दोनों है और कुछ ऐसे हैं जहाँ न बिजली है और न पानी। ये सब देख कर शोधकर्ता को प्रतीत हुआ कि इस गाँव को अनुसंधान का केंद्र बना कर एक पूर्ण छवि पेश की जा सकती है।

२.३ अनुसंधान के उद्देश्य– मुख्य रूप से इस अनुसंधान का उद्देश्य यह है कि क्या कृषि अधिनियम–२०२० के चलते कृषि क्षेत्र का उत्थान हुआ है ? इसके लिए शोधकर्ता ने कृषि की सालाना आमदनी, कृषि की भूमि जोत, भूमि की मंडी से दूरी एवं फसल की विपणन सुविधा पर अनुसंधान को केंद्रित किया। तत्पश्चात् शोधकर्ता ने इन परिणामों की तुलना कृषि अधिनियम–२०२० से की, जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि क्या कृषि अधिनियम से किसानों की स्थिति में कुछ सुधार आयेगा या नहीं।

२.४ अनुसंधान प्रश्न– अनुसन्धान के निम्नलिखित प्रश्न हैं–

१–कृषक की मूल भूमि जोत क्या है?
२–कृषक की वार्षिक आमदनी कितनी है?
३–कृषक की भूमि जोत मंडी से कितनी दूरी पर स्थित है?
४– क्या कृषक की विपणन सुविधा का भोगी है?
५–क्या कृषक को फसल मंडी तक ले जाने में कोई परिवहन सुविधा प्राप्त होती है?
६–क्या उपरोक्त पाँच में कोई सम्बन्ध है?
७–क्या कृषि अधिनियम–२०२० कृषि समस्या का समाधान है?

२.५ सोद्देश्य नमूना चयन– शोधकर्ता को स्पष्ट रूप से ज्ञात है की कृषि अधिनियम का प्रभाव कृषि पर ही पड़ेगा इस कारण शोधकर्ता ने कृषि का साक्षात्कार करना उचित समझा। तत्पश्चात् ५० कृषियों का साक्षात्कार किया गया। इन किसानों के भूमि जोत लगभग ४ से ६ एकड़ थी और ये कृषि विभिन्न प्रकार की फसले उगाते हैं। यह सोच कर शोधकर्ता ने इन कृषियों का साक्षात्कार करना उचित समझा।

२.६ डाटा विश्लेषण और व्याख्या– व्याख्या प्रणाली विवरणात्मक है जिसमें परावर्तक विधि का भी उपयोग किया गया है। इस विधि से शोधकर्ता को विश्लेषण करने में सहायता मिलती है एवं शोध के परिणामों को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करा जा सकता है।

२.७ आंकड़ा संग्रहण– संग्रहण हेतु साक्षात्कार तकनीक अपनायी गई। इसके चलते किसानों से प्रश्न पूछे गए और उत्तरों का अभिलेखन किया गया। जो किसान हिंदी भाषी नहीं थे उनसे स्थानीय भाषा में सवाल पूछे गए। जवाबों का अभिलेखन पहले से तैयार किये गए प्रारूप में अंकित कराया गया।

२.८ नैतिक प्रतिपूर्ति– हितधारकों को अनुसंधान के शैक्षिक उद्देश्यों से अवगत कराया गया और शोधकर्ता ने सूचित सहमति के सिद्धांतों को अपनाया है। हितधारकों की पहचान को गोपनीय रखा गया है एवं उनसे कोई झूठे वादे नहीं किये गए हैं।

३.मुख्य निष्कर्ष– आकड़ों का संग्रहण करने के बाद यह ज्ञात होता है कि–

३.१. किसान की सालाना आय किसान की भूमि जोत पर निर्भर करती है– साक्षात्कार एवं आकड़ों के संग्रहण के बाद ये ज्ञात होता है कि किसान की भूमि जोत की वृद्धि के साथ किसान की वार्षिक आय में भी वृद्धि होती है।

जैसे की **लेखाचित्र–१** में देखा जा सकता है कि एक किसान जिसकी भूमि जोत करीब ४ एकड़ है वह तकरीबन ५०,०००–६०,००० सालाना कमाई कर लेता है परन्तु एक बड़ा किसान जिसकी भूमि जोत ६ एकड़ है वह ३,००,०००–३,५०,००० कमा लेता है। सहसंयोजन विश्लेषण करने से पता चलता है की भूमि जोत एवं सालाना आय में मजबूत संबंध है और यह सम्बन्ध (+)०.६३४ के सहसंबंध गुणांक से चित्रित किया जा सकता है ऐसा **तालिका–१** से देखा सकते है।

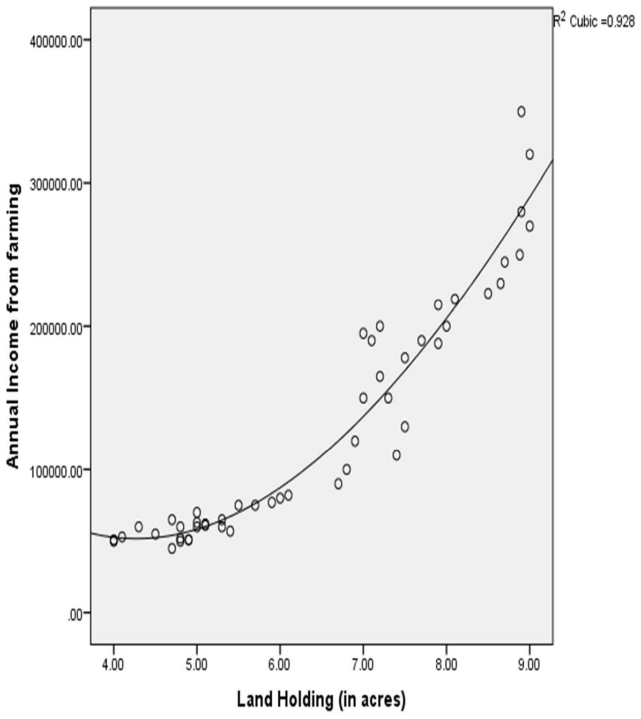

Figure 1

Table 1: Correlations

	Annual Income from farming	Land Holding (in acres)
Annual Income from farming	1	.934**
Pearson Correlation		.000
Sig. (2-tailed)N	50	50
Land Holding (in acres)	.934**	1
Pearson Correlation	.000	
Sig. (2-tailed)N	50	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

चित्र–३.२: किसान की सालाना आय निर्भर इस बात पर भी करती है की उस किसान की भूमि मंडी से कितनी दूर या पास है।

साक्षात्कार एवं आकड़ों के संग्रहण के बाद यह ज्ञात होता है की किसान की वार्षिक आय इस बात पर भी निर्भर करती है कि किसान की भूमि मंडी से कितनी दूरी पर स्थित है। जैसा की **लेखाचित्र–२** में देखा जा सकता है कि एक किसान जिसकी भूमि जोत मंडी के पास स्थित है वह तकरीबन ३,५०,०००–३,७५,००० वार्षिक आय प्राप्त करता है और दूसरी तरफ एक किसान जिसकी भूमि जोतमंडी से १२ किलोमीटर दूर है वह सालाना ७५,०००–६०,००० ही कमा सकता है। इसके साथ ही **तालिका–२** (–)०.८४० का सहसंबंध गुणांक दर्शाती है जिससे कि सिद्ध हो जाता है कि जैसे भूमि जोत मंडी से दूर होती है तदनुसार किसान की सालाना आय कम होती जाती है।

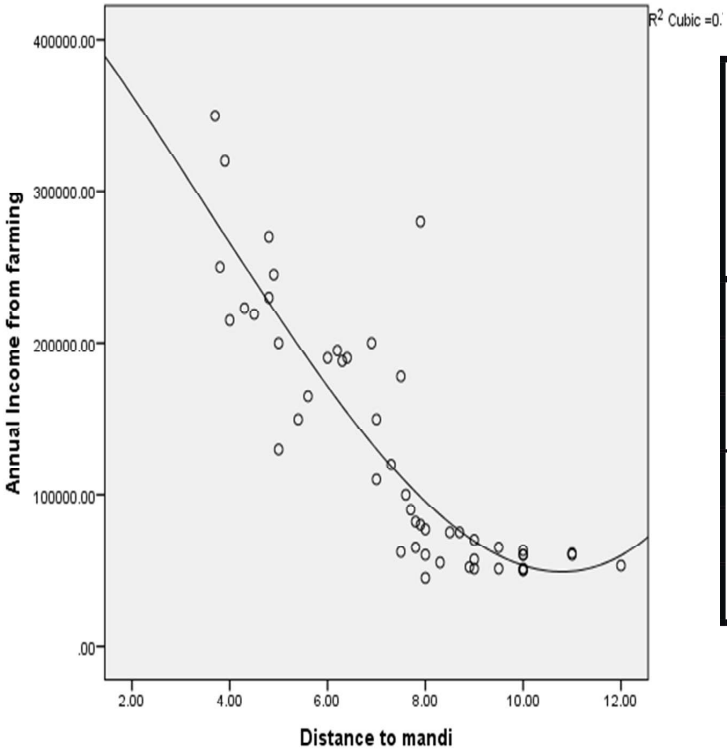

Figure 2

Table 2: Correlations

	Annual Income from farming	Distance to mandi
Annual Income from farmingPearson CorrelationSig. (2-tailed)N	1 50	-.840** .000 50
Distance to mandi Pearson Correlation Sig. (2-tailed)N	-.840** .000 50	1 50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

लेखा चित्र–३.३: अनुसंधानसे यह ज्ञात होता है की मौजूद प्रणाली के अंतर्गत ६६ प्रतिशत किसानों को कोई विपणन सुविधा प्राप्त नहीं होती है जबकि सालाना आय विपणन सुविधा पर निर्भर करती है।

लेखाचित्र–३ से पता चलता है की अनुसंधान के ६६ प्रतिभागी किसानों को कोई विपणन सुविधा नहीं मिलती जिसके चलते फसल को बिचौलिए को बेचना पड़ता है और ऐसा अधिकतर होता है कि बिचौलिया फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर लेता है और स्वयं मंडी में जा कर फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच देता है। विपणन सुविधा न मिलने के कारण भी कृषि की आय कम होती है। परन्तु एक प्रवृत्ति सामने आती है कि जिन कृषियों को विपणन सुविधा मिलती है उनकी भूमि जोत अधिक है जिससे फसल भी अधिक होती है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि संपन्न कृषक को तो सुविधा प्राप्त होती है पर छोटे कृषक को कोई सुविधा नहीं मिलती। ये सम्बन्ध **चित्र–३** और **चित्र–४** से देख सकते हैं। **तालिका–३** सम्बंधित सहसंयोजक गुणांक दिखती है जिससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है।

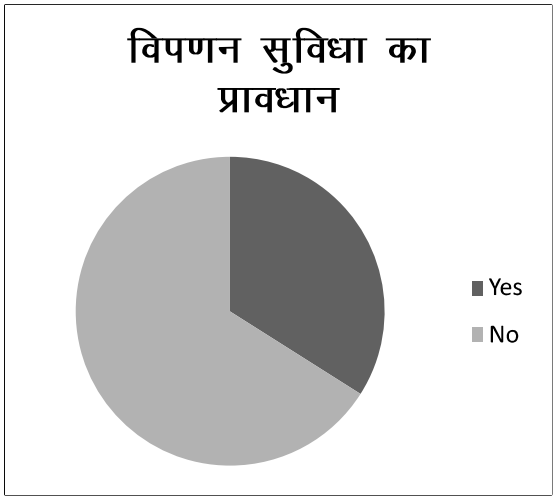

Figure 3

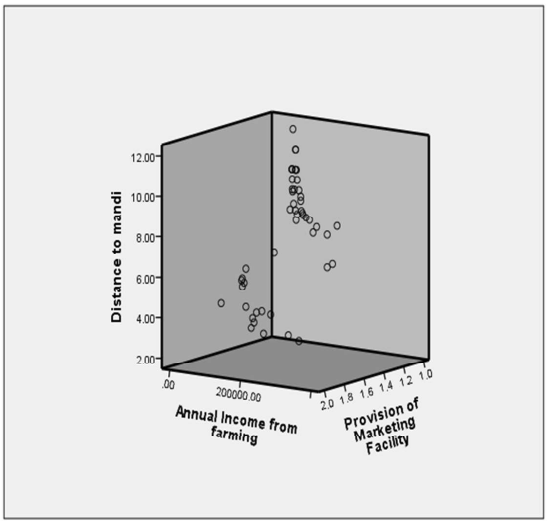

Figure 4

Table 3: Correlation

	Provision of Marketing Facility	Annual Income from farming	Distance to Mandi
Provision of MarketingFacility Pearson CorrelationSig. (2-tailed)N	1 50	.864** .000 50	-.764** .000 50
Annual Income from farmingPearson CorrelationSig. (2-tailed)N	.864** .000 50	1 50	-.840** .000 50
Distance to MandiPearson CorrelationSig. (2-tailed)N	-.764** .000 50	-.840** .000 50	1 50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

लेखा चित्र–३.४ : किसान की आय परिवहन सेवा पर भी निर्भर करती है।

चित्र–५ का अध्ययन करने से पता चलेगा की किसान की सालाना आय इस बात पर तो निर्भर करती है कि भूमि जोत मंडी से कितनी दूरी पर स्थित है परन्तु परिवहन सुविधा की उपलब्धता भी किसान की वार्षिक आय को बढ़ा या घटा सकती है। उदाहरणार्थ एक किसान जिसकी भूमि जोत मंडी से ६ किलोमीटर दूर है पर उस किसान को कोई परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उस किसान की सालाना आय एक ऐसे किसान जिसको कि परिवहन सुविधा उपलब्ध है उससे कम होगी। ये सही बात है कि आय खेत की उपज पर निर्भर करती है परन्तु उपज को मंडी तक पहुँचना भी आय के बढ़ने या घटने में एक प्रासंगिक कारण है। यह सम्बन्ध हम **तालिका–४** से भी देख सकते है।

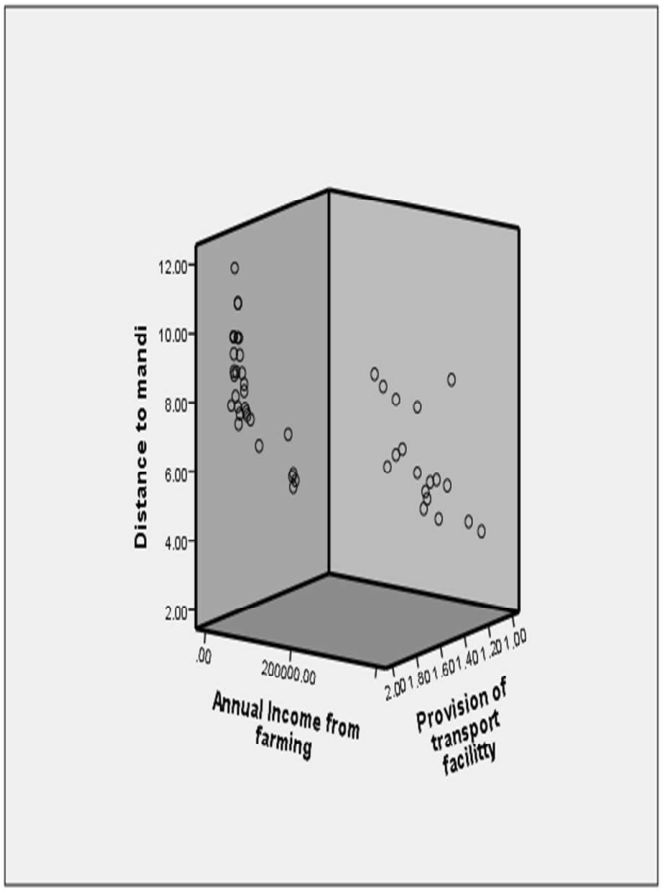

Table 4: Correlations

	Annual Income from farming	Distance to Mandi	Provision of transport facility
Annual Income from farmingPearson CorrelationSig. (2-tailed)N	1 50	-.840** .000 50	-.748** .000 50
Distance to Mandi Pearson Correlation Sig. (2-tailed)N	-.840** .000 50	1 50	.743** .000 50
Provision of transport facilityPearson CorrelationSig. (2-tailed)N	-.748** .000 50	.743** .000 50	1 50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

उपरोक्त विचार विमर्श से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय किसान की कठिन परिस्थिति किसान के फसल को आसानी से न बेच पाने की वजह से है। और भारतीय किसान अपनी फसल इसलिए नहीं बेच पाता क्योंकि वह अपनी फसल मंडी तक पहुँचा ही नहीं पाता कारण कि या तो मंडी किसान की भूमि जोत से दूर है या फिर खेत से इतना उत्पादन होता ही नहीं जिसको कि लाभ के लिए बेचा जा सके।

इसी समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष २०२० में कृषि अधिनियमों को निर्मित किया। व्यापार अधिनियम के चलते किसानों को अधिकार दिया जायेगा की वह अपनी फसल को किसी भी राज्य की किसी भी मंडी में बेच सके। इस कानून के अंतर्गत कृषि उपज बाजार समिति को समाप्त करके एक ऐसी प्रणाली को बनाया जायेगा जो कि केंद्र सरकार द्वारा कार्य करेगी और कृषि को सशक्त बनाएगी। इसी तरह अनुबंध खेती अधिनियम फसल के खरीददार को भूमि जोत तक लाएगा और उसे यह अधिकार प्रदान करेगा की वह किसान से कृषि समझौता के तहत पूर्वनिर्धारित फसल का उत्पादन करवा सके। इस पूर्वनिर्धारित फसल को खरीददार उसी पूर्वनिर्धारित धनराशि से खरीद लेगा। यह तो हो गई सिद्धांत की बात परन्तु देखना अब यह है कि क्या कृषि अधिनियम–२०२० कृषियों की समस्याओं का कोई वास्तविक समाधान करते हैं या नहीं।

४. कृषि अधिनियम और कृषियों पर प्रभाव– इसमें कोई शक नहीं है कि व्यापार अधिनियम ने किसानों के सामने बहुत सारे विकल्प खोल दिए हैं परन्तु अगर हम उपर्युक्त अनुसंधान का ध्यान से अध्ययन करें तो हमें अवगत होगा कि समस्या मंडी की नहीं है बल्कि मंडी तक पहुँचने की है। ये समस्या छोटे किसानों के लिए अधिक है और बड़े किसानों के लिए कम। एक तरफ तो व्यापार अधिनियम उदारीकरण के सिद्धांतों की बात करता है, पर दूसरी तरफ बड़े और छोटे किसानों में भेदभाव बढाता है। इससे सवाल ये उठता है कि जब समस्या पास की मंडी तक पहुँचने की थी तो छोटा किसान दूसरे राज्य की मंडी तक कैसे पहुँचेगा ?

अनुबंध खेती अधिनियम भी अपने में अच्छा कानून है क्योंकि इससे बिचौलिए हटेंगे और खरीददार और कृषि में सीधा संपर्क बनेगा। इस बात में भी कोई शक नहीं है की अनुबंध खेती अधिनियम ने किसान और खरीददार को एक स्तर पर ला के खड़ा कर दिया है। परन्तु सवाल फिर वही उठता है की भारतीय किसान जो कि गरीब और अनपढ़ है वो कैसे संविदा की लिखा पढ़ी करेगा ? क्या वह किसान संविदा के नियम और शर्तें समझ भी पायेगा? समाज में समानता एक मिथ्या है परन्तु जनतंत्र के सिद्धांतों के चलते प्रणाली को समानता की ओर बढ़ना चाहिए। परन्तु अनुबंध खेती अधिनियम प्रणाली में बसी असमानता को बरकरार रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक कृषक जिसके पास अधिक भूमि है वह अधिक फसल की उपज करके बेचेगा और इसके बदले में अधिक धनराशि अर्जित कर पाने में सक्षम होगा वहीं दूसरी तरफ एक कृषक जिसके पास कम भूमि है कम फसल की उपज कर पाने में सक्षम होगा और नतीजतन कम धनराशि अर्जित कर पायेगा।

सरकार द्वारा कृषि कानूनों में दिये गए प्राविधानों से भविष्य में अनेकानेक सुधारों के साथ किसानों के कृषि उत्पादन एवं आर्थिक स्थिति में व्यापक लाभ की योजना अंगीकृत की गयी थी। विभिन्न ग्रामीण अंचलों विशेष कर छोटे किसानों पर किये गये साक्षात्कार अध्ययन से प्रतीत हो रहा था कि इन प्राविधानों का लाभ विद्यमान परिस्थितियों में उन्हें मिल पाना अत्यन्त कठिन है। साथ ही किसानों के एक बड़े वर्ग को अंकित प्राविधानों से अनेकानेक आशंकायें भी थी। व्यवसायिक किसानों, आढ़तियों व किसान संगठनों के एक वर्ग द्वारा इस कानून से अपने एकाधिकार में अतिक्रमण दिख रहा था, जिसमें प्रबल विरोध एवं आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। उक्त क्रम में कई बार सरकार एवं किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के मध्य गतिरोध समाप्त करने हेतु वार्ताएं भी की गई। अन्ततः व्यापक विरोध, आन्दोलन, राजनैतिक हस्तक्षेप व विभिन्न अन्य कारणोंवश उक्त कृषि कानूनों को सरकार ने दिसम्बर 2021 में निरस्त कर दिया।

५. सुझाव और निष्कर्ष– कृषि अधिनियम–२०२० भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक क्षण था। इस अधिनियम ने कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्याओं के अनोखे समाधान पेश किये हैं। जैसे कि हर चीज के दो पहलू होते हैं वैसे ही इस अधिनियम के भी दो पहलू हैं–एक अच्छा तो दूसरा बुरा। कृषि को अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वह है मंडी तक पहुँचने में सहायता और फसल को बेचने में सहूलियत। कृषि अधिनियम कृषि को दूर की मंडी में तो फसल बेचने में सामर्थ्य प्रदान कराते है परन्तु करीबी मंडी में बेचने का सामर्थ्य प्रदान नहीं कराते। और चिंताजनक बात यह है कि जो किसान अपनी फसल करीबी मंडी में बेचने में अक्षम हैं वह किसान दूर की मंडी में कैसे अपनी फसल बेच सकेगा? इस परिस्थिति को देखते हुए जरूरत ज्यादा मंडी स्थापित करने की है और मंडी ऐसी जगह बनायी जाए जहाँ सब किसान मंडी में आ सके और अपनी फसल को बेच सकें।

इन अधिनियमों की कमी से बस यह प्रतीत होता है कि यह कृषियों में बढ़ती असमानता को और बढ़ावा देंगे। परन्तु इस बढ़ती असमानता को रोका जा सकता है। यह सुव्यवस्थित है की कृषियों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी मिलती है। इन्हीं सब्सिडी को उपयोग में लाकर असमानता को कम किया जा सकता है। भूमि जोत के हिसाब से अगर सब्सिडी दी जाने लगे तो ऐसी एक प्रणाली बनाई जा सकती है जिसमें की ज्यादा भूमि वाले कृषि को कम सब्सिडी मिले और कम भूमि वाले कृषि को अधिक सब्सिडी मिले। कहने का तात्पर्य यह है की मान लेते हैं की उर्वरक १००० रुपये प्रति किलो के दर से बिकता है। सब्सिडी के बाद अगर ये उर्वरक ज्यादा भूमि वाले किसान को ५०० रुपए में मिले तो यही उर्वरक कम भूमि वाले किसान को २५० रुपये में मिल जाए। इसके चलते छोटे किसान को ज्यादा सब्सिडी मिलेगी और बड़े किसान को कम सब्सिडी मिलेगी और प्रणाली में समानता आने की सम्भावना बढ़ जाएगी। कानून तो सभी अच्छे होते हैं पर अंत में बस सब इसी बात पर निर्भर करता है कानून का कितने अच्छे से प्रतिपालन किया जाता है।

संदर्भ

1. सुश्रुत सूंदर, (२०१६) इंडियन इकनोमिक सर्वे २०१८: फार्मर्स गैनस एग्रीकल्चर मेचानिजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्पीड्स उप, मोरे अर – दी रिक्वायर्ड https://www.financialexpress.com/budget/india-economic-survey-2018-for-farmers-agriculture-gdp-msp/1034266/
2. दी फार्मर (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस अस्सुरांसी एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, २०२०
https://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222040.pdf
3. दी फार्मर्स प्रोडूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट, २०२०
https://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222039.pdf